

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक: 16 DEC 2022

क्रमांक: ई 1-19/2022/एक-2:: श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (सीजी: 2004) द्वारा स्वैच्छापूर्वक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 02.12.2022 प्रस्तुत किया गया है। श्री देवांगन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पूर्ण विचारोपरांत एवं शासकीय सेवा 30 वर्ष पूर्ण होने के कारण राज्य शासन एतद्वारा अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्धारित तीन माह की कालावधि में छूट प्रदान कर अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से. (सीजी: 2004) को दिनांक 16.12.2022 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)  
सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

नवा रायपुर, दिनांक: 16 DEC 2022

पृ.क्रमांक: ई 1-19/2022/एक-2::

प्रतिलिपि:-

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
2. अनुसंधान अधिकारी (कैरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन/गृह/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
7. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना/अधीक्षण), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
12. संबंधित अधिकारी/व्यक्तिगत नरती,
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
14. कोषालय अधिकारी, इंद्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर,
15. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग